न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 18 / 2026(GCMS 2026/34)

बंशीदेवी पत्नी सांगाराम जाति मेघवाल वीपीओ 7 एलसी तहसील श्रीविजयनगर, जिला श्रीगंगानगर

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं **उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

15.05.2026

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी बंशीदेवी की ओर से उनके अधिवक्ता श्री रविशंकर मालिया उपस्थित हुए, उन्हें सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया ।

अपीलार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर को आवेदन पत्र दिनांक 21.12.2025 से प्रस्तुत करके एक बिन्दु सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी बंशीदेवी ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 21.12.2025 से उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर से निम्न सूचना चाही थी :

> प्रार्थीया की कृषि भूमि चक 7 एलसी के मुरब्बा नम्बर 26 में लगे सीसीटीवी कैमरे को दिनांक 27.09.2025 को प्रशासन द्वारा जब्त किया गया की जब्ती की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें एवं लगाई गई शिकायत की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें।

उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर ने अपने पत्र क्रमांक आरटीआई / 2026 / 948 दिनांक 16.03.2026 दिनांक 23.04.2026 से अपील का जवाब प्रेषित कर अवगत करवया है कि उनके द्वारा दिनांक 22.01.2026 को अपीलार्थी को जवाब दिया जा चुका है। उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर ने अपने पत्रांक आरटीआई / 2026 / 923 दिनांक 22.10.2026 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

क्र.सं.	वांछित सूचना	सूचना का विवरण
1	प्रार्थी की कृषि भूमि चक 7 एलसी के मुरब्बा नम्बर 26 में लगे सी.सी.टी.वी. कैमरे को दिनांक 27.09.2025 को प्रशासन द्वारा जब्त की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें व लगाई गई शिकायत की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें।	आप द्वारा वंछित सूचना अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता के कार्यालय में संधारित नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखों में उपलब्ध हो। अतः कार्यालय में आप द्वारा वांछित सूचना संबंधित अभिलेख संधारित नहीं होने के कारण सूचना देय नहीं है। आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है।

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयानगर ने अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है, जो** निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। **सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश**

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इसलिए लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर ने अपील का जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 15.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर
श्रीविजयनगर